ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री राजेंदर सिंह	01/04/2023 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री बृजमोहन	01/04/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखों अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में भारी अंतर	4.2	3.98
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	42.39
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	1.18
4	दुकान किराये पर जी०एस०टी० की मांग न करना	7.2	0.18
5	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	8.1	1.18
6	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.2	3.14
7	स्त्रोत पर जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना	8.3	0.17
8	रॉयल्टी से संबंधित फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना भुगतान	9.1	5.27
9	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.3	10.62
10	आपूर्तिकर्ता के बिलों से वाइड्स (Voids) की कटौती न करना	9.4	0.23

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का यह प्रथम अंकेक्षण था।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05/12/2024 से 11/12/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में

निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः-

वर्ष	आय	व्यय
2023-24	03/24	06/23

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 142 दिनांक 11/12/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत नोहराधार द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** पर भी दिया गया हैः-

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	6347990.03	11652000	159270	**18159260.03**	12239368.1	**5919891.93**
दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट-2**						**5755195.03**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर **(₹5919891.93-₹5755195.03) परिशिष्ट-2**						**164696.9**

4.2 ₹3.98 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-2** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹397903.1** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम संख्या	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/General)/संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)/सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)/अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)/स्वच्छ भारत मिशन (SBM)/विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/विकास में जन सहयोग (VMJS) आपदा राहत कोष (CRF)/पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)/ मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	84991.1
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	2221.4
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	23597
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	5793.6
5	इंदिरा आवास योजना (IAY)/ राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	1948
6	13वां वित्त आयोग (13th FC)	279352
	कुल	**397903.1**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹3.89 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹388534.5 (परिशिष्ट-1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित बैंक

खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं।

क्रम संख्या	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	109182.50
2	13वां वित्त आयोग (13th FC)	279352.00
	कुल	**388534.50**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय-व्यय के लिये अलग बैंक खातों का संचालन न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये स्वः स्रोतों की आय-व्यय हेतु स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम

पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत में दिनाँक 31/03/2024 को **₹1680971.23** की राशि शेष थी परन्तु सावधि जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹42.39 लाख उपयोग हेतु शेषः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31/03/2024 को **₹4238920.7** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित हैः-

क्रम संख्या	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	14103.7
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1986108
3	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	240599
4	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	126554
5	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	763609
6	अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)	87602
7	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	51719.2
8	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	372961
9	विकास में जन सहयोग (VMJS)	101664
10	आपदा राहत कोष (CRF)	37534
11	पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	32876
12	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	109182.5
13	13वां वित्त आयोग (13th FC)	279352
14	इंदिरा आवास योजना (IAY)	443.3
15	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	32613
16	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	2000
	कुल	**4238920.7**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹54.62 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹5461814** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	826738
2	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	640000
3	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	1080000
4	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	530000
5	अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)	153200
6	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	500000
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	380000
8	विकास में जन सहयोग (VMJS)	979000
9	आपदा राहत कोष (CRF)	340000
10	पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	32876
	कुल	**5461814**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹59.85 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹5984914** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान से व्यय (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1759073
2	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	400000
3	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	1067630
4	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)	409750
5	अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)	96000
6	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	587592
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	337300
8	विकास में जन सहयोग (VMJS)	877336
9	आपदा राहत कोष (CRF)	450233
	कुल	**5984914**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.18 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट- 3 व 4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत में निम्न विवरणानुसार राजस्व राशि **₹117580** वसूली हेतु शेष थी-

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 31/03/2024 को वसूली हेतु शेष राषि (₹)
1	गृहकर **(परिशिष्ट- 3)**	107680
2	दुकान/भवन किराया **(परिशिष्ट- 4)**	9900
	कुल	**117580**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उपरोक्त राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 दुकान किराये पर ₹0.18 लाख जी०एस०टी० की मांग न करना :-

वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) अधिनियम, 2017 की धारा-9 में प्रावधानों के अनुसार दुकान किराया प्राप्ति पर नियमानुसार 18% जी०एस०टी० कटौती उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा दुकानों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान **परिशिष्ट- 4** तथा निम्न तालिका अनुसार पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर **₹18306** की माँग व वसूली नहीं की गई थी जोकि वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त राशि की वसूली उपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था।

विवरण	राशि (₹)	18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर राशि (₹)
वर्ष 2023-24 के दौरान दुकान किराये की प्राप्ति	101700	18306

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को जी०एस०टी० की मांग व वसूली न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।अतः जी०एस०टी० की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 एक ही क्रमांक की 2 रसीद बुकें प्रयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 2 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी। जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 व्यय

8.1 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.18 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में वर्णित विवरण अनुसार **₹118236** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया।

योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)
मनरेगा	नि० पक्का संपर्क मार्ग नोहरा बाज़ार से तहसील कार्यालय से देवा मानल मार्ग तक, ग्राम पंचायत नोहराधार	SNG/68/22-23 05-08-22	महासू ट्रेडर्स	सरिया	118236

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8.2 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹3.14 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-5** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹313673** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.3 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.17 लाख जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना:-

जी0एस0टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वितीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की थी। ग्राम पंचायत

द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि **₹17075** का विवरण **परिशिष्ट- 6** पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी0एस0टी टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 ₹0.03 लाख के भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा तथा नियम 47 (1) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल/वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करके निम्न वर्णित विवरणानुसार **₹2986** के भुगतान वाउचर/बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	विवरण	बिल राशि (₹)	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गए
सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/5 08-06-23	निविदाओं के विज्ञापन हेतु अमर उजाला को भुगतान	2986	भुगतान बिल व वाउचर

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8.5 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.02 लाख आयकर की कटौती न करना:-

आयकर अधिनियम की धारा '194 सी' के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर व्यक्ति व

एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित टी०डी०एस कटौती राशि **₹2000** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/1 28-06-23	नि० अन्तिरिक्त राशि लिंक रोड अखरोट फार्म से मतिदा	56	01-02-23	मै० अशोक चौहान	जे०सी० बी कार्य	100000	1%	1000
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/23 28-06-23	नि० एम्बुलेंस रोड भोग से पनारा	048	21-03-23	श्री अक्षय ठाकुर	जे०सी० बी कार्य	100000	1%	1000
			कुल							**2000**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयकर टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 रॉयल्टी से संबंधित फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को ₹5.27 लाख का भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को

परिशिष्ट- 7 में दर्ज विवरण अनुसार **₹527440** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 ₹3.14 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना बिना करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-5** पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों में **₹313673** का भुगतान कार्य समिति की सत्यापना के बिना ही किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 ₹10.62 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-8** पर दर्ज निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹1062028** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से 0.23 लाख के वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि0प्र0 पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के

अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार

अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है।परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर निम्नविवरणानुसार अनुसार इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को को निम्न विवरणानुसार **₹23218** अधिक भुगतान किया गया है।

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशि (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/17 27-06-23	नि० बावड़ी क्यारी	180	09-02-23	मै० अनिल चौहान	बजरी - 4.5 m^3 या 24.96 टन	12600	10%	1260
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/22 28-06-23	नि० पक्का लिंक रोड नोहरा गाँव	269	23-04-23	मै० अनिल चौहान	बजरी - 16 m^3 या 24.96 टन	44800	10%	4480
3	मनरेगा		नि० पक्का रास्ता गुथान सड़क से गीता राम के घर तक	076	06-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी - 14 m^3 या 21.84 टन	37380	10%	3738
				077	07-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी - 20 m^3 या 31.2 टन	53400	10%	5340
4	मनरेगा		नि० पक्का संपर्क मार्ग नोहरा बाज़ार से तहसील कार्यालय से देवा मानल मार्ग तक, ग्राम पंचायत नोहराधार	257	03-03-23	मै० अनिल चौहान	बजरी - 30 m^3 या 48.8 टन	84000	10%	8400
						कुल				**23218**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइड (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा

अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिका**:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्षः**- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

668-672 का0/प्रति 23 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 97/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नौहराधार, विकास खण्ड संगडाह जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट - 41
पैरा संख्या 4.1, 4.3, 6.1 से संबंधित

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2023-24	6347990.03	11652000	159270	**18159260.03**	12239368.1	**5919891.93**

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	1655951.33	512771	89288	**2258010.33**	577039.1	**1680971.23**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	0.7	0	14103	**14103.7**	0	**14103.7**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	2862564	826738	55879	**3745181**	1759073	**1986108**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	599	640000	0	**640599**	400000	**240599**
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	114184	1080000	0	**1194184**	1067630	**126554**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	643359	530000	0	**1173359**	409750	**763609**
अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)	30402	153200	0	**183602**	96000	**87602**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	139311.2	500000	0	**639311.2**	587592	**51719.2**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	330261	380000	0	**710261**	337300	**372961**
विकास में जन सहयोग (VMJS)	0	979000	0	**979000**	877336	**101664**
आपदा राहत कोष (CRF)	147767	340000	0	**487767**	450233	**37534**
पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	0	32876	0	**32876**	0	**32876**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	109182.5	0	0	**109182.5**	0	**109182.5**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	279352	0	0	**279352**	0	**279352**
इंदिरा आवास योजना (IAY)	443.3	0	0	**443.3**	0	**443.3**
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	32613	0	0	**32613**	0	**32613**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	2000	0	0	**2000**	0	**2000**
मनरेगा	0	5677415	0	**5677415**	5677415	**0**
कुल	**6347990.03**	**11652000**	**159270**	**18159260.03**	**12239368.1**	**5919891.93**

(हिमाचल प्रदेश)-173104

परिशिष्ट - '2'
पैरा संख्या 4.2 व 5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110100001	**1680971.23**		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)			**240599**		
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)			**126554**		
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)			**763609**		
अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)			**87602**		
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			**51719.2**		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			**372961**		
विकास में जन सहयोग (VMJS)			**101664**		
आपदा राहत कोष (CRF)			**37534**		
पांचवा राज्य वित्त आयोग (5th SFC)			**32876**		
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)			**32613**		
	कुल		**3528702.43**	3613693.53	-84991.1
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110106117	**14103.7**	16325.1	-2221.4
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110108511	**1986108**	2009705	-23597
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110102426	**109182.5**	114976.1	-5793.6
इंदिरा आवास योजना (IAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110100055	**443.3**	495.3	
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)			**2000**		
	कुल		**2443.3**	**495.3**	1948
13वां वित्त आयोग (13th FC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		**279352**		279352
	कुल		**5919891.93**	**5755195.03**	**164696.9**

सचिव
ग्राम पंचायत नोहराधार
विकास खंड संगडाह
जिला सिरमौर (हि.प्र.)–173104

परिशिष्ठ -'3'
पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **720**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **20 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	93280	14400	**107680**	0	**107680**

(हि.प्र.)-173104

परिशिष्ट - 4
पैरा संख्या 7.1 व 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नोहराधार, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को दुकान व अन्य भवन किराया वसूली सम्बन्धी सूचना-

क्रम	विवरण	मासिक किराया (₹)	गत शेष (₹)	किराये की वार्षिक मांग (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
1	श्रीमती संगीता कुमारी, नाया पंचायत घर दुकान-1	3300	0	39600	39600	29700	**9900**
2	श्री संदीप चौहान, नाया पंचायत घर दुकान-2	3300	0	39600	39600	39600	**0**
3	श्री हरेंदर सिंह, नाया पंचायत घर दुकान-3	1600	0	19200	19200	19200	**0**
4	श्री नवीन चौहान, नाया पंचायत घर दुकान-4	1100	0	13200	13200	13200	**0**
	कुल		**0**	**111600**	**111600**	**101700**	**9900**

नोट- सभी दुकानें अगस्त, 2023 से किराये पर दी गयी है।

मनरेगा के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित मास में मस्टरोल पर किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-5

"पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित" व 9.2

क्रम	योजना	कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या	दिनांक	राशी (₹)
1	मनरेगा	नि०प्रोटेक्शन वॉल मुख्य रास्ता गांव नोहरा भूपेंद्र के घर के सामने	689	06-06-2023	20776
			689	06-06-2023	8904
			1034	26-06-2023	11870
			1034	26-06-2023	4748
2	मनरेगा	नि०भूमि विकास रघुवीर पुत्र जाति राम	1035	26-06-2023	22160
3	मनरेगा	नि०स्लैव कल्वर्ट संपर्क मार्ग चादना हरिजन बस्ती अनार का बाग (चादनाये खड्डु)	1036	27-06-2023	17810
4	मनरेगा	नि०पक्का संपर्क मार्ग नोहरा मार्केट से तहसील कार्यालय तक देवा मानल मेन रोड जीपी नोहराधार	691	06-06-2023	26712
			691	06-06-2023	2968
			692	06-06-2023	8904
			692	06-06-2023	2968
			1037	27-06-2023	17416
			1037	27-06-2023	2177
5	मनरेगा	नि०पुलिया या मिट्टीकरण कार्य संपर्क मार्ग निचला उलाना	725	06-06-2023	1781
			725	06-06-2023	5343
			725	06-06-2023	1781
6	मनरेगा	नि०पुलिया या सोलिंग कार्य संपर्क मार्ग शैल से ग्राम नोहरा	726	06-06-2023	19390
			726	06-06-2023	2770
			1038	27-06-2023	13062
			1038	27-06-2023	2177
7	मनरेगा	नि०पक्का संपर्क मार्ग मुख्य सड़क से उपरली सोतानी	696	06-06-2023	2376
8	मनरेगा	नि०एम्बुलेंस रोड पिड़िया से उपरला हिंडगा	697	06-06-2023	16620
			697	06-06-2023	2770
			1039	27-06-2023	9498
			1039	27-06-2023	1583
9	मनरेगा	नि०नाली या संपर्क मार्ग खानातियो	695	06-06-2023	22162
			1040	26-06-2023	27700
10	मनरेगा	नि०सिंचाई टैंक भोग क्यार	866	08-06-2023	7139
			866	30-06-2023	428
11	मनरेगा	नि०अमृत सरोवर नोहराधार	694	06-06-2023	2968
			694	06-06-2023	23744
			694	06-06-2023	2968
		कुल			**313673**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Nohradhar
फोन-9736161012

व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि का विवरण

परिशिष्ट-6

"पैरा संख्या 4.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBM/2023-24/P/4 08-06-24	नि0 प्लास्टिक यूनिट नोहराधार	275	30-04-23	मै० अनिल चौहान	ईंट	45000	2%	900
				274	29-04-23	मै० अनिल चौहान	बजरी	2700	2%	54
				273	28-04-23	मै० अनिल चौहान	बजरी 20 मी०मी	8100	2%	162
				272	27-04-23	मै० अनिल चौहान	बजरी	2700	2%	54
				271	26-04-23	मै० अनिल चौहान	रेत	18200	2%	364
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/13 26-06-23	नि० बावड़ी हिन्डगा	181	09-02-23	मै० अनिल चौहान	रेत, बजरी व ईंट	39300	2%	786
3	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/16 26-06-23	नि० बावड़ी नोहरा	208	24-02-23	मै० अनिल चौहान	ईंट	16000	2%	320
4	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/17 27-06-23	नि० बावड़ी क्यारी	180	09-02-23	मै० अनिल चौहान	रेत, बजरी व ईंट	32600	2%	652
5	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/22 28-06-23	नि० पक्का लिंक रोड नोहरा गाँव	269	23-04-23	मै० अनिल चौहान	बजरी	44800	2%	896
				268	22-04-23	मै० अनिल चौहान	रेत	23400	2%	468
6	मनरेगा		नि० पक्का रास्ता गुथान सड़क से गीता राम के घर तक	76	06-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी	37380	2%	748
				77	07-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी	53400	2%	1068
				78	08-06-22	मै० अनिल चौहान	रेत	42160	2%	843
7	मनरेगा		नि० पक्का संपर्क मार्ग नोहरा बाज़ार से तहसील कार्यालय से देवा मानल मार्ग तक, ग्राम पंचायत नोहराधार	256	02-03-23	मै० अनिल चौहान	रेत	127400	2%	2548

				257	03-03-23	मै० अनिल चौहान	बजरी	84000	2%	1680
8	मनरेगा		नि० पक्का संपर्क मार्ग नोहरा बाज़ार से तहसील कार्यालय से देवा मानल मार्ग तक, ग्राम पंचायत नोहराधार	2183	06-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	2%	922
				2184	09-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	2%	922
				2185	09-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	2%	922
				2186	11-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	2%	922
				2187	11-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	2%	922
				2188	23-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	2%	922
			कुल							**17075**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Nohradhar
फोन-9736161012

निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-7

"पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशी (₹)	टिपण्णी
1	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBM/2023-24/P/4 08-06-24	नि0 प्लास्टिक यूनिट नोहराधार	275	30-04-23	मै० अनिल चौहान	ईंट-4500	45000	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
				271	26-04-23	मै० अनिल चौहान	रेत- 7 m^3 या 11.2 टन	8100	फॉर्म 'X' केवल 8 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/13 26-06-23	नि० बावड़ी हिन्डगा	181	09-02-23	मै० अनिल चौहान	रेत-4.5 m^3 या 7.2 टन	11700	फॉर्म 'X' केवल 4 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
							ईंट-1500	1500	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
3	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/16 26-06-23	नि० बावड़ी नोहरा	208	24-02-23	मै० अनिल चौहान	ईंट	16000	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
4	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/17 27-06-23	नि० बावड़ी क्यारी	180	09-02-23	मै० अनिल चौहान	रेत, बजरी व ईंट	32600	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
5	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/22 28-06-23	नि० पक्का लिंक रोड नोहरा गाँव	269	23-04-23	मै० अनिल चौहान	बजरी - 16 m^3 या 24.96 टन	44800	फॉर्म 'X' केवल 16 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
				268	22-04-23	मै० अनिल चौहान	रेत-9 m^3 या 14.4 टन	23400	फॉर्म 'X' केवल 10 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
6	मनरेगा		नि० पक्का रास्ता गुथान सड़क से गीता राम के घर तक	076	06-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी - 14 m^3 या 21.84 टन	37380	फॉर्म 'X' केवल 39 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
				077	07-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी - 20 m^3 या 31.2 टन	53400	
				078	08-06-22	मै० अनिल चौहान	रेत-17 m^3 या 27.2 टन	42160	फॉर्म 'X' केवल 20 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
7	मनरेगा		नि० पक्का संपर्क मार्ग नोहरा बाज़ार से तहसील कार्यालय से देवा मानल मार्ग तक, ग्राम पंचायत नोहराधार	256	02-03-23	मै० अनिल चौहान	रेत-49 m^3 या 78.4 टन	127400	फॉर्म 'X' केवल 49 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
				257	03-03-23	मै० अनिल चौहान	बजरी - 30 m^3 या 48.8 टन	84000	फॉर्म 'X' केवल 30 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
						कुल		**527440**	

Tarun Saini
(तरुण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Nohradhar
फ़ोन-9736161012

निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत किये बिना किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-8

"पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक/ कार्य का नाम	मस्टररोल संख्या/ बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गए
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/201-06-23/ नि० महिला मंडल भवन पलाह	0068793/ 27-04-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट	39500	सम्बंधित माप पुस्तिका
2	मनरेगा	नि०स्लैब कल्वर्ट संपर्क मार्ग चादना हरिजन बस्ती अनार का बाग (चादनाये खड्ड)	1036/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		17810	सम्बंधित माप पुस्तिका
3	मनरेगा	नि०पक्का संपर्क मार्ग नोहरा मार्केट से तहसील कार्यालय तक देवा मानल मेन रोड जीपी नोहराधार	691/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		26712	सम्बंधित माप पुस्तिका
			691/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2968	सम्बंधित माप पुस्तिका
			692/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		8904	सम्बंधित माप पुस्तिका
			692/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2968	सम्बंधित माप पुस्तिका
			1037/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		17416	सम्बंधित माप पुस्तिका
			1037/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2177	सम्बंधित माप पुस्तिका
4	मनरेगा	नि०पुलिया या सोलिंग कार्य संपर्क मार्ग शैल से ग्राम नोहरा	726/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		19390	सम्बंधित माप पुस्तिका
			726/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2770	सम्बंधित माप पुस्तिका
			1038/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		13062	सम्बंधित माप पुस्तिका
			1038/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2177	सम्बंधित माप पुस्तिका
5	मनरेगा	नि०पक्का संपर्क मार्ग मुख्य सड़क से उपरली सोतानी	696/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2370	सम्बंधित माप पुस्तिका
6	मनरेगा	नि०एम्बुलेंस रोड पिड़िया से उपरला हिंडगा	697/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		16620	सम्बंधित माप पुस्तिका
			697/06-06-2023	मस्टररोल भुगतान		2770	सम्बंधित माप पुस्तिका
			1039/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		9498	सम्बंधित माप पुस्तिका
			1039/27-06-2023	मस्टररोल भुगतान		1583	सम्बंधित माप पुस्तिका

7	मनरेगा	नि० पक्का रास्ता गुठन सड़क से गीता राम के घर तक	076/06-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी	37380	सम्बंधित माप पुस्तिका
			077/07-06-22	मै० अनिल चौहान	बजरी	53400	सम्बंधित माप पुस्तिका
			078/08-06-22	मै० अनिल चौहान	रेत	42160	सम्बंधित माप पुस्तिका
8	मनरेगा	नि० पक्का संपर्क मार्ग नोहरा बाजार से तहसील कार्यालय तक देवा मानल मुख्य सड़क जीपी नोहराधार	256/02-03-23	मै० अनिल चौहान	रेत	127400	सम्बंधित माप पुस्तिका
			257/03-03-23	मै० अनिल चौहान	बजरी	84000	सम्बंधित माप पुस्तिका
			2183/06-11-23	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	सम्बंधित माप पुस्तिका
			2184/09-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	सम्बंधित माप पुस्तिका
			2185/09-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	सम्बंधित माप पुस्तिका
			2186/11-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	सम्बंधित माप पुस्तिका
			2187/11-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	सम्बंधित माप पुस्तिका
			2188/23-11-22	मै० महादेव एंटरप्राइज	इंटरलॉक टाइल्स	46110	सम्बंधित माप पुस्तिका
9	मनरेगा	नि०पक्का रास्ता थाचा	61598/19-01-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट	45906	सम्बंधित माप पुस्तिका
10	मनरेगा	नि०पुलिया या सोइलिंग कार्य संपर्क मार्ग शील से ग्राम नोहरा	63309/21-02-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट	121053	सम्बंधित माप पुस्तिका
11	मनरेगा	नि०सिंचाई टैंक मवाना	63308/21-02-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट	85374	सम्बंधित माप पुस्तिका
			कुल			**1062028**	

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Nohradhar
फोन-9736161012